81

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/1498

विष्णु कुमार चतुर्वेदी पुत्र गोविन्द प्रसाद चतुर्वेदी निवासी– महादेवा तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

-----आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सुशीला तिवारी पत्नी श्री सी.पी. तिवारी निवासी– पूनम भवन के पीछे, सतना (म.प्र.)

-----अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–रा. संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील रघुराज नगर सतना के प्रकरण क्रमांक 181ए12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, आवेदक विष्णु चतुर्वेदी एवं आपत्तिकर्ता/अनावेदक श्रीमती सुशीला तिवारी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15.09.2015 पर आपत्ति पेश करने के कारण संयुक्त टीम का गठन कर मौजा महादेवा की आराजी नम्बर 156/1ख,158/क/1/खा व आ.न.156/2, 158/क/2/1 की जाँच कर सीमाकंन प्रतिवेदन आहूत किया गया।

2– यहकि, संयुक्त टीम द्वारा मौजा महादेव स्थित आवेदित भूमियों का संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 04.06.2016 पर जाँच कर नक्शा ट्रेस स्थल पंचनामा दिनांक 28.06.2016 सीमांकन सूचना दिनांक 23.06.2016 पेश की गई।

3– यहकि, आवेदक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 04.08.2016 पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये पुनः निष्पक्ष टीम से सीमांकन कराये जाने व पूर्व में पारित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो / निग. / सतना / भू.रा. / 2018 / 1498

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.06.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील रघुराज नगर सतना के प्रकरण क्रमांक 181/ए-**12/2014-15** में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के विरूद्ध म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की है। 2- आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से प्रतीत होता है कि आवेदक की अनुपस्थिति में सारी कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा टीम गठित कर उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही करे। सदस्य	